

प्राचार्य का कार्यालय
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफरपुर

प्रेषितः—

डॉ० विकास कुमार
पूर्व सिनियर रेजिडेंट, सर्जरी विभाग,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफरपुर ।

विषय—आवास को खाली करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय कार्यालय द्वारा आपको ट्र्यूटर रेजिडेंस में आवास आवंटित किया गया था, वर्तमान में आप इस चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में पदस्थापित/कार्यरत नहीं है, परन्तु वर्तमान तक आपके द्वारा उक्त सरकारी आवास को खाली नहीं किया गया है, जो खेदजनक है ।

विदित हो कि पूर्व में सूचना के माध्यम से अनाधिकृत रूप से रहने वाले सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करने के अनेक बार सूचित किया जाता रहा है, बावजूद सरकारी आवास में अनाधिकृत रूप से रहना, सरकारी नियम के विरुद्ध है ।

अतः अन्तिम रूप से स्मारित करते हुए सूचित किया जाता है कि आप यथाशीघ्र उक्त आवास को खाली कर, इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को दें, अन्यथा अग्रतर कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय एवं जिला पदाधिकारी, मुजफरपुर को सूचित किया जाएगा । चूंकि यह मामला अतिक्रमणवाद से आच्छादित है ।

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफरपुर


ज्ञापांकः— २५३/१३ दिनांक— २५/०३/२३

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफरपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि उक्त चिकित्सक को LPC निर्गत करने से पूर्व इस कार्यालय से आवास संबंधी NOC आवश्यक है ।
2. कॉलेज वेबसाइट ।



प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफरपुर
Principal
S. K. Medical College
Muzaffarpur



21.3.2023